

न्यायालय : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कासगंज ।

सिविल प्रकीर्णवाद संख्या-02/2018
मनजीत सिंह ----बनाम्-----श्रीमती सुमन,
धारा -9, नियम 4, व्यवहार प्रक्रिया संहिता,
जनपद-कासगंज ।

06.02.2019

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर करायी गयी, पुकार पर प्रार्थी/आवेदक मनजीत सिंह अनुपस्थिति है । बार-बार पुकार कराये जाने पर भी उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है ।

पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त मामले में प्रार्थी/आवेदक विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका कोई हित उक्त वाद में निहित नहीं है। अतः प्रार्थी/आवेदक की अनुपस्थिति के कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/आवेदक मनजीत सिंह की अनुपस्थिति के कारण उसका वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

(विजेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कासगंज ।
06.02.2019